

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: सीआरओ/राआम/2016-17/47/63

दिनांक : 08/06/2016

### कार्यालय आदेश

संचालक मण्डल की 231वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 231.4 में प्रदत्त अनुमोदन की अनुपालना में, वर्तमान में प्रभावी आदेशांक एफ.2(3)लागत/1034/650 दिनांक 28.01.14 के अन्तर्गत उप आवासन आयुक्त द्वारा 20.00 लाख रुपये तक की प्राप्त बिड मूल्य के प्रस्तावों को निर्णित करने की अधिकारिता को एतद् द्वारा बढ़ाकर 50.00 लाख रुपये तक किया जाता है। उक्तानुसार प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत उप आवासन आयुक्त द्वारा नीलामी में प्राप्त एक से अधिक बिड की स्थिति में ही 50.00 लाख तक प्राप्त बिड मूल्य की नीलामी निर्णित की जा सकेगी।

एकल बिड प्रस्ताव एवं ऐसे अन्य प्रकरण जिनमें किसी सम्पदा हेतु प्राप्त अधिकतम निविदा दर मण्डल द्वारा निर्धारित बिड मूल्य से अधिक होने के बावजूद भी नीलामी समिति द्वारा यदि बिड को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी है तो, संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा अपनी स्पष्ट अभिशंसा करते हुए अति. मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से मुख्यालय में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

  
अध्यक्ष एवं

आवासन आयुक्त

### प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार/अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/तृतीय एवं अध्यक्ष अवसायन समिति, रा.आ.म., जयपुर।
5. अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय रा.आ.म., जोधपुर/OSD/CEM/जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, I/II/III, जयपुर/जोधपुर-I, II/उदयपुर/कोटा/अलवर/बीकानेर।
7. संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ)रा.आ.म.जयपुर को भेजकर लेख हे कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-I/II/III/IV/V/VI/IX/X/XI/XII/XIII, पी.एच.ई-II, जयपुर, दौसा, अजमेर, झुंझनू, अलवर, भिवाडी, भरतपुर, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, उदयपुर-I/II, भीलवाड़ा, इंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर-I/II/III/IV, पाली, बाडमेर।
9. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वृत्त- I/II/III, जयपुर/जोधपुर-I, II/ उदयपुर/ कोटा/ अलवर/ बीकानेर।
10. संबंधित पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार